FSSAI
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

RCD-15001/9/2023-Regulatory-FSSAI [E-9642]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(नियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

Dated: 28 February 2025

To,

1. **The Commissioner of Food Safety of All States/UTs**
2. **All Regional Directors of FSSAI**

Subject: Special Festive Drive for Ensuring Food Safety, Quality and Prevention of Adulteration-reg

Madam/Sir,

With the upcoming **Holi festival**, it is well known that the demand for sweets, savories, milk, and milk products such as ghee, khoya, paneer, and other food items rises significantly. This surge in demand often leads to economic incentives for food adulteration, resulting in the sale of substandard & spurious products that compromise quality and safety, posing serious risks to public health. In light of this, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) underscores the need for heightened surveillance and enforcement actions to prevent the circulation of adulterated and unsafe food products namely - Milk & Milk products, Sweets, Snacks & Savouries including Namkeen, papad/fryums, Edible Oil, Cereal & cereal products etc (the commodities may vary & can be decided dependent upon the eating patterns & prevalence in the regions).

2. To address this issue effectively, the **"Holi- Anti-Adulteration Drive – 2025"** shall be initiated by **States/UTs and Regional Offices of FSSAI** to ensure stringent monitoring and proactive enforcement actions. **Enforcement Officials (Designated Officers/Food Safety Officers/Central Food Safety Officers)** may be directed to conduct inspections and sampling in their respective jurisdictions, intensifying vigilance to safeguard public health and curb any malpractices. Additionally, **Food Safety on Wheels (FSW) and Food Safety Officers** should be deployed at **entry/exit points at borders, hotspots and other major clusters/markets** for on-the-spot testing, enabling immediate enforcement action against any violations related to food safety and adulteration.

3. After the conclusion of the drive, States/UTs and Regional Offices of FSSAI are requested to submit a consolidated report **by 31.03.2025** at **enforcement1@fssai.gov.in** in the format as enclosed to further assess the effectiveness of the drive and identify areas for further strengthening enforcement mechanisms.

This issues with the approval of Competent Authority.

Enclosure-*As above*

Yours sincerely,

(Rakesh Kumar)
Director (Regulatory Compliance)

Copy to: -

1. PA to CEO, FSSAI.
2. ED, Regulatory Compliance, FSSAI

FSSAI FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

RCD-15001/9/2023-Regulatory-FSSAI [E-9642]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(नियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 28 फरवरी 2025

सेवा में ,

1. सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त
2. एफ.एस.एस.ए.आई के सभी क्षेत्रीय निदेशक

विषय: खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट की रोकथाम हेतु विशेष उत्सव अभियान – संबंधी

महोदया/महोदय,

आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए, यह सर्वविदित है कि मिठाइयों, नमकीन, दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे घी, खोया, पनीर आदि की मांग में भारी वृद्धि होती है। इस बढ़ती हुई मांग के कारण आर्थिक लाभ के लिए खाद्य मिलावट की संभावना बढ़ जाती है, जिससे घटिया एवं नकली उत्पादों की बिक्री होती है, जो गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य मिलावट और असुरक्षित खाद्य उत्पादों के प्रसार को रोकने के लिए, निगरानी और प्रवर्तन कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से **दूध और दूध उत्पाद, मिठाइयाँ, स्नैक्स एवं नमकीन (नमकीन, पापड़/फ्रायम्स), खाद्य तेल, अनाज एवं अनाज से बने उत्पाद आदि** (इस नमूनाकरण अभियान के लिए खाद्य पदार्थों की सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्षेत्रीय खान-पान की प्रवृत्तियों एवं प्रचलन के आधार पर तय की जा सकती है)।

2. उपरोक्त को ध्यान को ध्यान में रखे हुए **"होली- एंटी मिलावट अभियान – 2025"** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, ताकि कड़ी निगरानी और सक्रिय प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। प्रवर्तन अधिकारियों (अभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी/केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी) को निर्देशित किया जा सकता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण और सैंपलिंग करें, सतर्कता बढ़ाएँ और किसी भी तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ। इसके अतिरिक्त, **फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW)** और **खाद्य सुरक्षा अधिकारियों** को सीमाओं के प्रवेश/निकास बिंदुओं, प्रमुख बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए, ताकि मौके पर ही परीक्षण किया जा सके और खाद्य सुरक्षा व मिलावट से संबंधित किसी भी उल्लंघन पर तुरंत प्रवर्तन कार्रवाई की जा सके।

3. अभियान समाप्त होने के उप्रान्त, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस अभियान की प्रभावशीलता का आकलन करने और प्रवर्तन तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए **31.03.2025** तक एक संकलित रिपोर्ट **enforcement1@fssai.gov.in** पर संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

संलग्नक-यथोक्त

सादर,

(राकेश कुमार)
निदेशक (नियमीय अनुपालन)

प्रतिलिपि:
1. सीईओ, एफएसएसएआई के पीए को।
2. कार्यकारी निदेशक (नियमीय अनुपालन), एफएसएसएआई।

Enclosure/ संलग्नक

Report Format

Table 1

Name of the product	Total no of samples drawn	Conforming	Non-Conforming	Detail of non-conforming parameters & no. of failed samples against these			
				Quality Parameters-Brief	No of samples failed	Safety parameters-brief	No of samples failed

Table 2

Name of the product	Total Quantity Seized	Total quantity destroyed	Specify reason for seizure/destruction

रिपोर्ट प्रारूप

तालिका 1

उत्पाद का नाम	कुल लिए गए नमूनों की संख्या	अनुकूल	प्रतिकूल	अनअनुकूल मापदंडों का विवरण और उनके विरुद्ध असफल नमूनों की संख्या			
				गुणवत्ता मापदंड - संक्षिप्त विवरण।	विफल नमूनों की संख्या	सुरक्षा मापदंड - संक्षिप्त विवरण	विफल नमूनों की संख्या

तालिका 2

उत्पाद का नाम	कुल जब्त की गई मात्रा	कुल नष्ट की गई मात्रा	जब्ती/नष्ट करने का कारण निर्दिष्ट करें